संख्या-10/2018/1814/60-1-2018

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 03 अगस्त, 2018**

विषयः- विभाग के अन्तर्गत संचालित खुला आश्रय गृह, बाल गृह (बालिका), स्वाधार गृह, अल्प प्रवास गृह तथा महिला शरणालय का औचक निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

आप अवगत है कि महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति अपराध एवं शोषण के प्रति राज्य सरकार अत्यन्त सजग है। उक्त के दृष्टिगत जनपद के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित खुला आश्रय गृह, बाल गृह (बालिका), स्वाधार गृह, अल्प प्रवास गृह तथा महिला शरणालय का औचक निरीक्षण करते हुये वहॉ निवासित महिलाओं/बालिकाओं के प्रति यदि कोई शोषण संबंधी शिकायत प्राप्त होती है, के संबंध में निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराया जाना प्रासंगिक होगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जनपदों में संचालित गृहों में निवासित महिलाओं/बालिकाओं के प्रति यह सुनिश्चित किया जाये कि उनका किसी प्रकार से शोषण तो नहीं किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत कृपया महिला कल्याण विभाग के गृहों का स्वयं औचक स्थलीय निरीक्षण करके वहॉ पर निवासित महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर वस्तुस्थिति से 15 दिनों में अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(चन्द्र प्रकाश)
समाज कल्याण आयुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in